तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.2019	आज यह पत्रावली वादी स्वयं प्रार्थी श्री अमरीकसिंह द्वारा वाद पत्र के साथ द्वारा यह प्रा.पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस इकतरफा सुनी गई। वादी ने बताया कि चक 207 आर.डी. के खाता संख्या 7 पुराना 3 नया प.न. 89/328 के कि.न. 1 ता 24, 25/2 में 6.111 है0 भूमि में अप्रार्थी नं. 1 के नाम से 1.075 है0 कमाण्ड भूमि खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि का दिनांक 26.03.2019 को प्रार्थी के साथ विक्रय का इकरारनामा कर मौका पर कब्जा सौंप दिया व साई पेटे 2,00,000/– रूपये लेकर कुल अपने नाम की भूमि 1.012 है0 कमाण्ड भूमि 16,05,000/– रू. के बेचान कर इकरारनामा करके मौका पर कब्जा दे दिया । इकरारनामा के समय से ही जैरवाद भूमि का कब्जा काश्त मौका पर उसी समय प्रार्थी को संभलवा दिया था जो निरंतर चला आ रहा है व मौका पर फसल काश्त है। जैरवाद रकबा के भाव बढ़ जाने से तथा प्रार्थी द्वारा रकबा सुधार किये जाने व फसल देखकर अप्रार्थी नं. 1 रकबा को आगे बेचने पर उतारू है तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी कर सकता है। इसलिये अप्रार्थी नं. 1 को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि जैरप्रकरण रकबा का रहन बैय व हस्तान्तरण ना करें। प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज इकरारनामा बैय दिनांक 26.03.2019 अनुसार अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थी के पक्ष में इकरारनामा से बेचने की कार्यवाही की है, परन्तु अब उक्त अप्रार्थी नं. 1 ईकरारनामा के बावजूद दुसरे को जमीन बेच रहा है। यदि अप्रार्थी नं. 1 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी के शपथपत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थी नं. 1 के विरूद्ध आगामी पेशी तक अपने हिस्सा की खातेदारी भूमि का मौका व रिकार्ड की यथास्थित व रहन बैय व हस्तान्तरण न करने बाबत स्थगन जारी किया जाना उचित है। अप्रार्थी नं. 1 को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे चक 207 आर.डी. के खाता संख्या 7 पुराना 3 नया प.न. 89/328 के कि.न. 1 ता 24, 25/2 में 6.111 है0 भूमि में से अपने नाम की 1.075 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व रहन बैय व हस्तान्तरण ना करें। अप्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत व साधारण नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली तलवी होकर दिनांक 14.08.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** सूरतगढ़	951-55 26/07/19
14/08/19	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से Adv. श्री भगवानचन्द शर्मा ने वकालतनामा पेश किया, शामिल मिसल रहे। प्रतिवादी की तलबी होकर पत्रावली दिनांक 02/09/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
02/09/19	आज यह पत्रावली वादी स्वयं एवं वकील वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र O23 R1 CPC पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी के लिये (हस्ताक्षर)	अमरीकसिंह

क्रमशः पेज 02 पर ....

अमरीकसिंह

Scanned by CamScanner

02|09|19

उभय पक्षी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो गया है, अतः प्रकरण नहीं चलाना चाहते हैं। विड्रा करना चाहते हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण इसी स्तर पर विड्रा किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी स्वयं प्रकरण विड्रा करना चाहते हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली विड्रा करने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व में जारी स्थगन आदेश 26/3/19 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुला सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़